मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या–६७६/२०१९ (एम.ए.सी.पी. सं. २१६/२००९)
श्रीमती प्रियंका आदि बनाम शाहिद आदि

१८.०९.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थिया/याचिया श्रीमती आशा द्विवेदी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक ०७.१२.२०१० को निर्णीत की जा चुकी है, जिसमें विपक्षी बीमा कम्पनी को ३४,८७,०००/– रु. क्षतिपूर्ति अदायगी का आदेश दिया गया था तथा उक्त निर्णय में प्रार्थिया/ याचिया सं. ३ को ४,८७,०००/– रु. बतौर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया था, जिसे वह प्राप्त करने की हकदार है, जिसे विपक्षी बीमा कम्पनी रिलाइन्स इंश्योरेन्स कम्पनी लि. द्वारा न्यायाधिकरण में जमा कर दिया है। प्रार्थिया का यह भी कथन है कि उक्त निर्णय के अन्तर्गत उसने अभी तक कोई प्रतिकर धनराशि न्यायाधिकरण से प्राप्त नहीं की है। अतः प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसे उक्त क्षतिपूर्ति की धनराशि दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थिया ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में ४सी२ स्वयं का शपथपत्र, ६सी१ /१ लगायत ६सी१/७ उक्त याचिका में पारित निर्णय की सत्यप्रतिलिपि, १०सी१ अपने बैंक खाते की पासबुक व ११सी१ आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं।

प्रार्थिया न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. २१६/२००९ श्रीमती प्रियंका आदि बनाम शाहिद आदि की पत्रावली व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थनापत्र का समर्थन अपने शपथपत्र ४सी२ द्वारा किया गया है। प्रार्थिया ने अपने उक्त शपथपत्र में यह भी कथन है कि उक्त निर्णय के अन्तर्गत उसने अभी तक कोई प्रतिकर धनराशि न्यायाधिकरण से प्राप्त नहीं की है। उक्त मूल पत्रावली में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनाँकित ०७.१२.२०१० उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिया श्रीमती आशा द्विवेदी याचिया सं. ३ को मुबलिग ४,८७,०००/– रु. बतौर क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का आदेश पारित किया था जिसमें से २,००,०००/– रु. तथा उस पर अर्जित ब्याज उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में दो वर्ष के लिए रखे जाने थे व २,८७,०००/– रु. तथा उस पर अर्जित ब्याज नगद दिये जाने थे। रु. २,८७,०००/– व उस पर अर्जित ब्याज को जोड़कर रु. ३,०४,७७७ का चेक तैयार हुआ किंतु लिपिकीय त्रुटिवश इसपर आशा के बजाए आभा अंकित हो गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि किन्ही कारणों ये दोनो धनराशियाँ प्रार्थिया/याचिया श्रीमती आशा द्विवेदी प्राप्त नही कर पायीं। कालांतर मे चेक गुम हो गया किंतु पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के पत्र दिनाँकित १७.९.२०२० से स्पष्ट होता है कि २,००,०००/– रु. वाली धनराशि अब ३,३३,८०३/– रु. हो गयी है। इस प्रकार पंजाब नेशनल बैंक के पास उक्त याचिका में श्रीमती आशा द्विवेदी के हिस्से की धनराशि मुब. ३,०४,७७७/– रु.+ ३,३३,८०३/– = ६,३८,५८०/–(छैः लाख अडतीस हजार पाँच सौ अस्सी) रु. उपलब्ध है। मेरे विचार से इस धनराशि को मय अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, प्रार्थिया/याचिया श्रीमती आशा द्विवेदी प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झांसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. २१६/२००९ (प्रकीर्ण वाद सं.६७६/२०१९ प्रियंका आदि बनम शाहिद आदि) के प्रकरण में जमा क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थिया को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें तथा ३,४,७७७/–रु. का जो चेक (सं. ३७७११९ (158/2001)) श्रीमती आभा द्विवेदी के नाम जारी हुआ है उसे निरस्त कर दें –

Applicant/ petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Smt. Asha Dwivedi	638580	100	Elect.Mode RTGS/NEFT	7525000100037273	PNB SHIVPURI ROAD JHANSI	PUNB0752500
Total	**638580**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी व इसी आशय का प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत एक अन्य ८बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित किये जाते हैं। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.09.24 18:02:32 IST
Reason: Presiding Officer
Location: MACT JHANSI